दिल्ली न्यायिक सेवा संगठन अन्य

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य

1 मई, 2001

[जी. बी. पटनायक, एस. एन. फुकान और बी. एन. अग्रवाल, जे. जे.]

सेवा कानून

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970:

नियम 16-पदोन्नति द्वारा भरे गए अस्थायी पद-1987 में नियमों के संशोधन में पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा अस्थायी पदों को भरने का प्रावधान किया गया-नियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न होने वाले अस्थायी पदों की रिक्तियां-आयोजित, सीधी भर्ती द्वारा अस्थायी पदों को भरना वैध है क्योंकि नियमों को अदालत के निर्देश के अनुसार संशोधित किया गया था।

संशोधित नियमों के नियम 7,16 और 17-संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 233 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 में दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा अस्थायी पदों को भरने का प्रावधान किया गया है।मार्च 1987 में जारी एक अधिसूचना द्वारा नियमों में संशोधन किया गया था।पदोन्नति द्वारा और बार से सीधी भर्ती द्वारा अस्थायी पदों को भरने के लिए संशोधित नियम प्रदान किए गए। संशोधन के अनुसार, अप्रैल 1987 में एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 10 अस्थायी पदों को भरने के लिए अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।पदोन्नति अधिकारियों के याचिकाकर्ता संघ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि 1987 से पहले उपलब्ध रिक्तियों को पूर्व-संशोधित नियमों के तहत भरना होगा और इसलिए संशोधित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा 10 पदों को भरने के लिए

जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।संशोधित नियमों के नियम 7,8,16 और 17 की वैधता पर जोर देते हुए एक पदोन्नति अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता-संघ ने तर्क दिया कि संशोधित नियमों से पहले बनाए गए अस्थायी पदों को केवल पूर्व-संशोधित नियमों के अनुसार भरा जा सकता है; कि पदों को दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है; कि संबंधित प्राधिकारी की ओर से उन्हें नहीं भरने में निष्क्रियता से इसके सदस्यों के अधिकार नहीं खोए जा सकते हैं; कि प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 10 पदों को भरने के लिए जारी किया गया विज्ञापन कानून के विपरीत है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए; और यह कि संशोधित नियमों के नियम 7 (बी) के निर्माण पर भी, 14 पदों में से केवल 1/3 पद, जो बनाए गए थे, सीधे भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

प्रोन्नति अधिकारी ने तर्क दिया कि संशोधित नियमों के नियम 7,16 और 17 संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन करते हैं; कि नियमों के नियम 7 में संशोधन के साथ, सबसे निचले स्तर पर नियुक्तियों के स्तर में गिरावट आई है, जो बदले में संवर्ग में अधिकारियों की दक्षता और बुद्धिमत्ता को प्रभावित करता है और यह बदले में संविधान के अनुच्छेद 233 का उल्लंघन है; और संशोधित नियमों के तहत रिक्तियों को भरने के परिणामस्वरूप समान अवसर से इनकार किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

प्रत्यर्थी-उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि सीधी भर्ती करने के लिए बार के सदस्यों से आवेदन मांगने वाला विज्ञापन पदोन्नतियों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार था; कि नियम 7 (बी) के उचित निर्माण पर, सीधी भर्ती द्वारा 10 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करना पूरी तरह से उचित है; और यह कि संशोधित नियम, जो इस न्यायालय के आदेश के अनुसार लाए गए थे, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं 233 संविधान से।

न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया।

1.1. केवल इसलिए कि अस्थायी पदों को सेक्थी उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 16 के तहत बनाया गया था, नियुक्ति प्राधिकरण के लिए उन पदों को तुरंत भरना अनिवार्य नहीं था।इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.12.1986 के पूर्व आदेश/निर्देश ने संकेत दिया कि उच्च न्यायालय को मसौदा नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा चयन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसे अदालत ने उस समय देखा था।यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत होने पर कि अस्थायी पदों का सृजन किया गया है और दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों द्वारा शिकायत की गई है कि उन पदों को केवल नियमों के अनुसार उनसे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना आवश्यक था, यदि उक्त मसौदा नियम अंततः लागू हो जाते हैं, तो यह निर्देश प्राप्त करें कि पदों को मसौदा नियमों के अनुसार पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा भरा जाना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ता-संघ का यह तर्क कि पदों को केवल पूर्व-संशोधित नियमों के तहत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना आवश्यक था, इस तथ्य के बावजूद कि विज्ञापन स्वयं नियमों में संशोधन के बाद जारी किया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय ने पहले संकेत दिया था कि सीधे भर्ती द्वारा भी चयन की प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए, नियमों के अंत में लागू होने की प्रतीक्षा किए बिना, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।[325-एफ-एच; 326-ए]

1.2. यह विवाद कि क्या दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देकर अस्थायी रूप से बनाए गए पदों को भरने के लिए एक आदेश परमादेश किया जा सकता है, इस न्यायालय के समक्ष था और न्यायालय ने तब एक सूत्र विकसित किया जिसे निष्पक्ष और उचित माना गया था और इसलिए पक्षों की सहमति पर उक्त सूत्र को आदेश में सन्निहित किया गया था।दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, जो इस न्यायालय में याचिकाकर्ता था, इस न्यायालय द्वारा विकसित सूत्र से सहमत हो गया।इस सूत्र को मूर्त रूप देते हुए, इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय को मसौदा नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में सीधी भर्ती करने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने चाहिए और आगे कहा कि मसौदा नियमों को मंजूरी और प्रकाशित करने के बाद, बार के सदस्यों से सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला एक और विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ताकि बार के उन सदस्यों

को सक्षम किया जा सके, जिन्होंने नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में जारी किए गए पहले विज्ञापन का जवाब नहीं दिया होगा।उपरोक्त आदेश के अनुसार, यह निष्कर्ष अटूट है कि नियमों के संशोधन से पहले भी 14 अस्थायी पदों का सृजन नहीं किया जा सका था

केवल दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं जैसा कि संघ द्वारा किया गया है। दूसरी ओर, इस न्यायालय के पहले के आदेश में बिना किसी शर्त के कहा गया है कि उन पदों को संशोधित किए जाने वाले नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए, जो उस स्तर पर केवल एक मसौदा प्रपत्र में थे।इसके अलावा, चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और यहां तक कि विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है और इस तरह का विज्ञापन नियमों के संशोधन के बाद ही जारी किया गया है, यह तर्क देना व्यर्थ है कि पदों को पूर्व-संशोधित नियमों के तहत भरा जा सकता है, केवल इसलिए कि पदों का सृजन किया गया था जबकि संशोधित नियम लागू नहीं हुए हैं।[326-डी-एच] '

वाई. वी. रंगैया और ओआरएस अन्यजे. श्रीनिवास राव और ओआरएस., [1983] 3 एससीसी 284, विशिष्ट।

रुद्र कुमार सैन अन्य अन्य।भारत संघ और अन्य, [2000] 8 एस. सी. सी. 251; ओ. पी. सिंगला और अन्र. वाई.भारत संघ और अन्य, [1984] 4 एस. सी. सी. 450; एस. बी. पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1977] 3 एस. सी. सी. 399 और बी. एल. गुप्ता और M-C.D., [1998] 9 SCC 223, संदर्भित।

2.1. नियम उन पदों की अधिकतम संख्या प्रदान करते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा भरा जा सकता है और यह नहीं कहता है कि किसी दिए गए समय पर रिक्तियों की संख्या का एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा भरा जाना आवश्यक है।प्रतिबंध यह है कि उच्च न्यायालय, जो पदोन्नति और बार से सीधी भर्ती दोनों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरने का हकदार है, सीधी भर्ती नहीं कर सकता है ताकि सेवा में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से

अधिक हो।प्रासंगिक समय पर, जब विज्ञापन जारी किया गया था, सेवा में पदों की कुल संख्या 53 थी-39 स्थायी और 14 अस्थायी-और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में उस समय सीधी भर्ती की संख्या 8 थी, उच्च न्यायालय द्वारा 10 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन नियमों के नियम 7 (बी) के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा।[327- डी-एफ]

3. देठी उच्च न्यायिक सेवा को उच्च न्यायालय की सिफारिशों के साथ परामर्श करके और देठी उच्च न्यायिक सेवा में पदों को पदोन्नति के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से भरने के लिए नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। इस शर्त के साथ भर्ती कि सीधी भर्ती कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, यह तर्क कि ऐसा नियम संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 233 का उल्लंघन करता है, पूरी तरह से गलत धारणा है।(328-डी]

उड़ीसा न्यायिक सेवा संघ, कटक और अन्र बनामउड़ीसा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 382, पर निर्भर थे।

मूल क्षेत्राधिकार 1987 की रिट याचिका (सी) संख्या 1023।(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

1987 की रिट याचिका (सी) संख्या 1643

पी. एन. याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से मिश्रा, विक्रांत यादव, अभिषेक कुमार, तारा चंद्र शर्मा और जी. पी. थारेजा।

प्रतिवादीओं के लिए एम. एम. कश्यप, ए. मरियारपुथम, बी. के. पाल (एन. पी.), आर. पी. गुप्ता, डी. एन. गोबर्धन, राकेश के. खन्ना, सुश्री अनुराधा जोशी, राजेश प्रसाद सिंह और टी. एल. गर्ग।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश पटनायक, जे. के द्वारा किया गया

दिल्ली सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में पदोन्नत और सीधी भर्तियों के बीच अंतहीन विवाद इन दो रिट याचिकाओं में तीसरे दौर में पहुंच गया है और हमें उम्मीद और विश्वास है कि यह अंतिम दौर होगा, कम से कम आने वाले कुछ समय के लिए।1984 में सिंगला के मामले में इस अदालत के फैसले के बाद, इसके कार्यान्वयन के मामले में विवाद उत्पन्न हुए अन्य अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में दायर रिट याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा गया, इस गलत धारणा पर कि सिंगला के मामले में फैसले की वैधता एक संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है, लंबे समय तक 16 वर्षों तक लंबित रही अन्य अंततः संविधान पीठ द्वारा निपटाया गया।भारत संघ और अन्य। विवाद वह तरीका था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में प्रत्यक्ष सी _ रिक्रूट और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता की गणना की जानी थी।वर्तमान दो रिट याचिकाएं शुरू में संविधान पीठ के समक्ष भी थीं, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि विवाद का विषय अलग था, इन दोनों मामलों को अलग करने का आदेश पारित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि जिन रिट याचिकाओं को संविधान पीठ द्वारा 22.8.2000 पर दायर किया गया था और उनका निपटारा किया गया था, वे पदोन्नत अधिकारियों के कहने पर थे।मुकदमेबाजी का दूसरा दौर कुछ प्रत्यक्ष भर्तियों के कहने पर था, जिसमें कुछ पदोन्नतियों पर वरिष्ठता का दावा किया गया था और जिसे 31.1.2001 पर निपटाया गया था।ये दो रिट याचिकाएं पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के कहने पर हैं, एक एसोसिएशन द्वारा और दूसरी एक व्यक्ति द्वारा।जबकि प्रोन्नति अधिकारियों के संघ ने इस राहत का दावा किया कि 1987 से पहले उपलब्ध रिक्तियों को, जब दिल्ली उच्च एफ. ई. न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया था, पूर्व-संशोधित नियमों के तहत भरना होगा और इसलिए, विज्ञापन जो 6.40 को जारी किया गया था।1987, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 10 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने को रद्द कर दिया जाना चाहिए, एक व्यक्तिगत पदोन्नति अधिकारी द्वारा दूसरा आवेदन संशोधित नियमों के नियम 7,8,16 और 17 की वैधता पर हमला करता है, जो 17 मार्च, 1987 से शुरू हुए थे।इन दो रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्यों को नीचे बताया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित सदस्यों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह बनाया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) कहा जाता है।ये नियम 1971 में राजपत्र में प्रकाशित होने पर लागू हुए।उक्त नियम नियम 2 (जी) में "प्रारंभिक भर्ती" को परिभाषित करते हैं जिसका अर्थ है नियमों के शुरू होने के बाद सेवा में की गई पहली भर्ती और नियुक्ति और नियम 5 प्रारंभिक भर्ती के बाद सेवा में भर्ती की विधि प्रदान करता है और नियम 6 प्रारंभिक भर्ती करने की विधि प्रदान करता है।नियम 16 ने प्रशासक को सेवा में अस्थायी पद बनाने और दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों में से व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से उन्हें भरने की शक्ति प्रदान की।इस प्रकार, प्रशासक द्वारा बनाए गए अस्थायी पदों को दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।नियम 17 प्रशासक को उच्च न्यायालय के परामर्श से दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों में से अस्थायी नियुक्ति करके सेवा में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने में भी सक्षम बनाता है।नियम 7 में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती बार से सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है, लेकिन परंतुक के तहत, सेवा में मूल पदों के एक तिहाई से अधिक सीधे भर्तियों द्वारा नहीं की जा सकती है।जब कुछ पदोन्नतियों, ओ. पी. सिंगला और अन्य द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें वर्षों तक एक साथ तदर्थ या अस्थायी आधार तदर्थ उनके बने रहने की शिकायत की गई थी। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, यह न्यायालय [1984] 4 एस. सी. सी. 450, (ओ. पी. सिंगला और Anr.v) में।भारत संघ और अन्य) ने माना कि नियम 7 में प्रदान किए गए तथाकथित कोटे को तोड़ दिया गया है और इसलिए, वरिष्ठता को केवल सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर गिना जाना चाहिए, जिसमें विराम-अंतराल या आकस्मिक नियुक्ति शामिल नहीं है।एस. बी. में इस न्यायालय के फैसले के बाद। पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1977] 3 एस. सी. सी. 399, न्यायालय की राय थी कि ऐसी स्थिति में जहां 'कोटा और रोटा' नियम अनिवार्य रूप से टूट गया है, प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण उन तारीखों के अनुसार किया जाना चाहिए जिन पर उन्हें उनके संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया था, जहां तक प्रत्यक्ष भर्तियों का संबंध है और उन तारीखों के अनुसार जिनसे पदोन्नत व्यक्ति या तो सेवा में बनाए गए

किसी भी अस्थायी पद पर या उन महत्वपूर्ण रिक्तियों में लगातार कार्य कर रहे हैं जिनमें उन्हें अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था।वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया और सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया।इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच की। लेकिन चूंकि "विराम-अंतराल, तदर्थ और आकस्मिक" अभिव्यक्ति का कोई उच्चारण नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई और अंतर से वरिष्ठता निर्धारित तदर्थ। उसी से आहत होकर, जब रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, तो उन रिट याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा गया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि का संकेत देते हैं और उच्च न्यायालय को उपरोक्त संविधान पीठ में की गई टिप्पणियों के आधार पर वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश देते हैं, जो [2000] 8 एस. सी. सी. 25 में रिपोर्ट की गई थी।इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ने जून, 1986 में दिल्ली प्रशासन के न्यायिक विभाग को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 14 अस्थायी पदों के निर्माण के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराया था। चूंकि उस समय लागू नियमों के तहत, सेवा में अस्थायी पदों पर नियुक्ति केवल दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा की जा सकती थी, इसलिए पदोन्नति अधिकारियों के संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन दिया कि नए बनाए गए अस्थायी पदों को दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाए, लेकिन वह अभ्यावेदन उच्च न्यायालय से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहा, इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे रिट याचिका संख्या <ID2 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि दिल्ली प्रशासन के साथ-साथ भारत संघ को भी दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अनुसार 14 अस्थायी अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए आदेश परमादेश किया जाए।उस रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय के दिनांक 18.12.1986 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसे नीचे विस्तार से उद्धृत किया गया हैः:

"हम वास्तव में खुश हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान और उच्च न्यायालय में पूरा विश्वास रखते हुए न्यायिक परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और उसके कनिष्ठ सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए रिट याचिका को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है।मामले की सुनवाई में सर्वसम्मति उभरने के आलोक में हम अभियान के साथ समस्या का समाधान आदेशने और सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के लिए इसके बाद उल्लिखित सूत्र को विकसित आदेशना आवश्यक समझते हैं।सभी पक्षों की ओर से पेश वकील इस बात पर सहमत हैं कि नीचे दिए गए रूप में विकसित सूत्र उचित और उचित है और वे सभी हमारे आदेश में सन्निहित होने के लिए सहमत हैं, तदनुसार निम्नानुसार करें।-

आई.

1, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह 15 जनवरी, 1987 तक मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त हो।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि यदि आवश्यक हो तो वह खुद पर दबाव बनाए और यह सुनिश्चित करे कि मसौदा नियमों को उक्त तिथि से पहले अंतिम रूप दिया जाए और एक विशेष संदेशवाहक द्वारा मंजूरी के लिए दिल्ली प्रशासन और भारत संघ को तुरंत भेजा जाए।

2. हम दिल्ली प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वह 9 फरवरी, 1987 तक मसौदा नियमों को मंजूरी देने से संबंधित मामले में निर्णय ले।हम दिल्ली प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि वह इसे एक विशेष मामले के रूप में माने, प्रक्रियात्मक संबंधी समस्याओं के कारण होने वाली देरी में कटौती करे और यह निर्णय ले कि उक्त तिथि को या उससे पहले मंजूरी दी जाए या नहीं।यदि मंजूरी दी जाती है तो कागजात एक विशेष संदेशवाहक द्वारा तुरंत भारत संघ को भेजे जाते हैं।

3. हम भारत संघ से अनुरोध करते हैं कि वह इसे एक विशेष मामले के रूप में माने और दिल्ली प्रशासन से कागजात प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर किसी न किसी तरह से निर्णय

ले।हम अनुरोध करते हैं कि प्रक्रियात्मक देरी से बचा जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रयास किया जा सकता है कि उचित निर्णय लिया जाए और उपरोक्त समय अवधि के भीतर राजपत्रित किया जाए।

4. दिल्ली प्रशासन और भारत संघ के निर्णय की प्रतीक्षा के दौरान हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं और मंजूरी की प्रत्याशा में मसौदा नियमों के आलोक में दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों में से चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करते हैं, ताकि चयन प्रक्रिया को उस समय तक पूरा किया जा सके जब तक संभव हो।

मंजूरी मिल जाती है।

5. हम दिल्ली उच्च न्यायालय से मसौदा नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में सीधी भर्ती करने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने का भी अनुरोध और प्राधिकरण करते हैं।जब मसौदा नियमों को मंजूरी दी जाती है तो जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत और प्रकाशित नियमों के अनुसरण में और उनके तहत किया गया माना जाएगा। यदि मसौदा नियमों को मंजूरी दी जाती है और सीधे भर्तियों के लिए बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक और विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, तो नियमों के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर 15 दिनों की छोटी सूचना देते हुए प्रकाशित किया जाएगा ताकि बार के उन सदस्यों को सक्षम किया जा सके जिन्होंने आवेदन करने से पहले नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में जारी किए गए पहले विज्ञापन का जवाब नहीं दिया होगा।साक्षात्कार आदि के माध्यम से सीधी भर्तियों के संबंध में चयन प्रक्रिया दोनों विज्ञापनों के अनुसार सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद शुरू होगी।मसौदा नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में जारी किए गए पहले विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों की जांच समय बचाने के लिए की जा सकती है।

6. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह चयन करे और पदों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को जल्द से जल्द और किसी भी मामले में 15 अप्रैल तक भेजे।

7. हम केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द सिफारिश प्राप्त होने पर कानून के अनुसार नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।

8. इस मामले से अलग होने से पहले हम लागू हुए महत्वपूर्ण मामले के संबंध में दिल्ली प्रशासन और भारत संघ को एक सिफारिश करना उचित समझते हैं।दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकांश न्यायिक अधिकारी पदोन्नति के अवसर की कमी के कारण कई वर्षों से रुके हुए हैं, जो सेवा की प्रकृति और उसके कारण अन्य अवसरों की सीमा में निहित है।इस स्थिति के परिणामस्वरूप न्यायिक अधिकारी प्रोत्साहन या बेहतर भविष्य की उम्मीद की अनुपस्थिति में में संतुष्ट नहीं होते हैं।ऐसी स्थिति उनमें से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने के लिए अनुकूल नहीं है।यह हर किसी के लिए वांछनीय है।न्यायिक अधिकारियों के मनोबल और दक्षता को उनके कार्यकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर बनाए रखने का दृष्टिकोण।यह हमें प्रभावित करता है कि 12 साल की सेवा में निवेश करने वालों के लिए मौजूदा श्रेणी की तुलना में बेहतर पैमाने पर 'विशेष श्रेणी' बनाने के माध्यम से कई सार्वजनिक निगमों में लागू होने वाले गतिरोध-रोधी सूत्र को अपनाना वांछनीय होगा।(हम सोचते हैं कि 12 साल उचित होंगे क्योंकि वर्तमान नियमों के तहत आठ साल पूरे होने पर न्यायिक अधिकारियों के लिए एक चयन ग्रेड उपलब्ध होगा और कुछ उन्नयन चार साल बाद होता है)।हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि दिल्ली प्रशासन और भारत संघ द्वारा सभी संबंधित लोगों के व्यापक हित में इस मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. हम दिल्ली प्रशासन और भारत संघ से यह भी सिफारिश करते हैं कि वे काम की मात्रा में वृद्धि और निकट भविष्य में काम के बोझ में कमी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुरोध पर चिंता और शीघ्र विचार करें।

उपरोक्त फार्मूले को ध्यान में रखते हुए, जिसे सभी पक्षों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है, जिन्होंने सही भावना से सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी है, याचिकाकर्ता रिट याचिका

को वापस ले रहे हैं।स्थिति की मांग होने पर मामले को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता है, लेकिन 15 अप्रैल, 1987 से पहले नहीं। रिट याचिका को तदनुसार वापस लिया जाता है।"

17 मार्च, 1987 को जारी एक अधिसूचना द्वारा नियमों में संशोधन किया गया और प्रश्नगत संशोधन द्वारा नियम 2 (डी) में आने वाली 'मूल क्षमता में' अभिव्यक्ति को हटा दिया गया।नियम 7 के पहले परंतुक में 'मूल' शब्द को हटा दिया गया था।नियम 16 के उप-नियम 2 को प्रतिस्थापित किया गया और प्रतिस्थापित नियम में प्रावधान किया गया कि नियम 16 के उप-नियम (1) के तहत बनाए गए पदों को दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच से उच्च न्यायालय के परामर्श से और बार से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। स्पष्टीकरण के रूप में, नियम 5,7,8,9,10 और 11 को नियम 16 के तहत की गई नियुक्तियों पर लागू किया गया था।

नियम 17 को संशोधित नियम द्वारा भी प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें नियम 16 के तहत नियुक्त व्यक्तियों से अस्थायी नियुक्तियां करके सेवा में पर्याप्त रिक्तियों को भरने का प्रावधान किया गया था।संक्षेप में, संशोधित मील का प्रभाव यह था कि नियम 16 के तहत अस्थायी रूप से बनाए गए पदों पर भी नियुक्तियां की जा सकती थीं, दोनों बार के साथ-साथ दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति से, जिसे अब तक केवल पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा था।संशोधित नियम लागू होने के बाद, 6 अप्रैल, 1987 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 10 अस्थायी पदों को भरने के लिए अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।पदोन्नति अधिकारियों के संघ ने उपरोक्त विज्ञापन के खिलाफ 30.4.1987 पर उच्च न्यायालय में अभ्यावेदन दिया और उसे खारिज कर दिया गया और अस्वीकृति का आदेश दिनांक 1 जून, 1987 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, दो रिट याचिकाएं इस न्यायालय में दायर की गई थीं, एक संघ द्वारा और दूसरी संघ के एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा।

श्री पी. एन. मिसरा एसोसिएशन की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील मिश्रा ने तर्क दिया कि जिन पदों को संशोधित खच्चरों के लागू होने से पहले बनाया गया था, उन पदों को गैर-संशोधित नियमों के अनुसार भरा जा सकता है और इसलिए आवश्यक रूप से, नियम 16

के संदर्भ में दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है, क्योंकि यह संशोधन से पहले था और मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 10 पदों को भरने के लिए जारी किया गया विज्ञापन कानून के विपरीत है और इसे रद्द किया जा सकता है।श्री मिश्रा ने आगे तर्क दिया कि नियम 7 (बी) के निर्माण पर, भले ही यह माना जाता है कि पदों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना आवश्यक था, 14 पद बनाए जाने के बाद, उनमें से केवल एक तिहाई पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है और इसलिए, विज्ञापन नियम 7 (बी) प्रावधान के प्रावधानों के विपरीत है।

श्री जी. पी. थारेजा ने श्री मिश्रा द्वारा उठाए गए तर्कों के अलावा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हुए आगे तर्क दिया कि नियम 7,16 और 17 संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ-साथ अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन करते हैं और इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर भी, सीधी भर्तियों के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 9 हो सकती है न कि 10।दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित श्री ए. मारियारपुथम ने तर्क दिया कि इस न्यायालय का दिनांक 1 का पूर्व आदेश रिट याचिका संख्या 2 में पारित किया गया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि नव निर्मित अस्थायी पदों को केवल देथी न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है, मसौदा नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में सीधी भर्ती करने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करके आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत दिया गया है, यह तर्क कि बनाए गए अस्थायी पदों को केवल दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है, पूरी तरह से अस्थिर है।विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नियम 7 (बी) के उचित निर्माण पर, यह स्पष्ट होगा कि हालांकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के पद पर भर्ती पदोन्नति के साथ-साथ बार से सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जा सकती है, लेकिन परंतुक के तहत, सेवा में एक तिहाई से अधिक पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जा सकती है।यह स्थिति होने के कारण और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सीधी भर्ती द्वारा 10 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करना पूरी तरह से उचित

माना और इस तरह इसमें कोई कमजोरी नहीं है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियमों की वैधता को इस आधार पर तथाकथित चुनौती कि यह अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, कोई सार नहीं है क्योंकि विचाराधीन संशोधन इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में लाया गया है और किसी भी तरह से अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 233 का कोई उल्लंघन नहीं है, और इस तरह रिट याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

बार में की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, पहला सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अस्थायी पदों को नियमों के संशोधन से पहले बनाया गया था, क्या यह कानून है कि उन पदों को केवल गैर-संशोधित नियमों के अनुसार ही भरा जा सकता है और अन्यथा नहीं?'इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जून 1986 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के 14 अस्थायी पद बनाए गए थे और यह भी विवादित नहीं है कि चूंकि विचाराधीन पद नहीं भरे गए थे, जिन्हें उस समय केवल दिल्ली न्यायिक सेवा को पदोन्नति देकर भरा जा सकता था, इसलिए एसोसिएशन ने रिट याचिका संख्या 1540/86 में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था।श्री पी. एन. मिश्रा, हम वाई. रंगैया और अन्य अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।जे. श्रीनिवास राव और अन्य, [1983] 3 8.सी. सी. 284, और बी. एल. गुप्ता और ए. एन. आर. बनाम एम. सी. डी., [1998] 9 एस. सी. सी. 223 में इस न्यायालय के निर्णय ने जोरदार तर्क दिया कि संशोधन लागू होने से पहले पद उपलब्ध होने के कारण, प्राधिकरण के लिए उन पदों को नियमों के अनुसार भरना अनिवार्य था, फिर लागू था और संशोधन के बाद भी उन पदों को केवल गैर-संशोधित नियमों के अनुसार ही भरा जा सकता था।श्री मिश्रा का तर्क है कि नियमों के संशोधन से पहले बनाए गए पदों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के अधिकारों को संबंधित प्राधिकारी की ओर से उन्हें नहीं भरने और नियमों के लागू होने के बाद ही विज्ञापन जारी करने में निष्क्रियता से नहीं खोया जा सकता है।रंगैया के मामले में [1983] 3 $।सी. सी. 284 इस न्यायालय ने सुसंगत नियमों के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर विचार करते हुए यह

अभिनिर्धारित किया कि उप-पंजीयक ग्रेड II के ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए हस्तांतरण द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है और इसके बजाय, 1977 में तैयार की गई थी, जब तक कि संशोधित नियम लागू हो गए हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन लोगों के वैध अधिकार और अपेक्षाएं, जो सितंबर, 1976 में तैयार की जाने वाली सूची में शामिल होने के हकदार थे, इस तथ्य के कारण निराश नहीं किया जा सकता है कि पैनल तैयार नहीं किया गया था और यह केवल वर्ष 1977 में ही तैयार किया गया था।उपरोक्त निर्णय का मामले में कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में किसी विशेष तिथि तक पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों के किसी भी पैनल या सूची को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।फिर, केवल इसलिए कि नियम 16 के तहत पद बनाए गए थे, नियुक्ति प्राधिकरण के लिए उन पदों को तुरंत भरना अनिवार्य नहीं था।इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस न्यायालय द्वारा दिनांकित पूर्व आदेश/निर्देश है, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि उच्च न्यायालय को उस समय देखे गए मसौदा नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा चयन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत होने पर कि अस्थायी पदों का सृजन किया गया है और दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों द्वारा एक शिकायत की गई है कि उन पदों को केवल नियमों के अनुसार उनसे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना आवश्यक था, एक निर्देश दिया गया था कि पदों को पदोन्नति और मसौदा नियमों के अनुसार सीधी भर्ती दोनों द्वारा भरा जाना चाहिए, यदि उक्त मसौदा नियम अंततः लागू हो जाते हैं।यह स्थिति होने के कारण, हमारे लिए श्री मिश्रा के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि पदों को केवल पूर्व-संशोधित नियमों के तहत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना आवश्यक था, इस तथ्य के बावजूद कि विज्ञापन स्वयं नियमों में संशोधन के बाद जारी किया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय ने पहले संकेत दिया था कि सीधे भर्ती द्वारा भी चयन की प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए, नियमों के अंत में लागू होने की प्रतीक्षा किए बिना।गुप्ता के मामले [1998] 9 एस. सी. सी. 223 में दूसरा निर्णय, जिस पर न्यायालय विचार कर रहा था, वह यह है कि 1995 के खच्चर संभावित प्रकृति के होने के कारण, रिक्तियां उससे पहले उत्पन्न हुईं,

चाहे उन्हें पूर्व-संशोधित नियमों के तहत भरा जा सके या संशोधित खच्चरों के तहत।निर्णय के पैराग्राफ (9) में निर्दिष्ट इस न्यायालय के पहले के तीन फैसलों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियमों से पहले जो रिक्तियां थीं, उन्हें पुराने नियमों के तहत भरा जाना आवश्यक था, न कि संशोधित नियमों द्वारा। यह निर्णय निस्संदेह श्री मिश्रा के तर्क का काफी हद तक समर्थन कर सकता था, अगर रिट याचिका संख्या 1540/86 में इस न्यायालय का दिनांकित 18.12.1986 आदेश नहीं होता।यह विवाद कि क्या दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देकर अस्थायी रूप से बनाए गए पदों को भरने के लिए एक आदेश परमादेश किया जा सकता है, इस न्यायालय के समक्ष था और न्यायालय ने तब एक सूत्र विकसित किया जिसे निष्पक्ष और उचित माना गया था और इसलिए पक्षों की सहमति पर उक्त सूत्र को आदेश में सन्निहित किया गया था।दूसरे शब्दों में, दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, जो इस न्यायालय में याचिकाकर्ता था, इस न्यायालय द्वारा विकसित किए गए सूत्र को मूर्त रूप देने के लिए सहमत हुआ।सूत्र को मूर्त रूप देते हुए, इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय को मसौदा नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में सीधी भर्ती करने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से बार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने चाहिए और आगे कहा कि मसौदा नियमों को मंजूरी और प्रकाशित करने के बाद, बार के सदस्यों से सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला एक और विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ताकि बार के उन सदस्यों को सक्षम किया जा सके, जिन्होंने नियमों की मंजूरी की प्रत्याशा में जारी किए गए पहले विज्ञापन का जवाब नहीं दिया होगा।उपरोक्त आदेश के अनुसार, यह निष्कर्ष अटूट है कि नियमों के संशोधन से पहले बनाए गए 14 अस्थायी पदों को केवल दिल्ली न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता था, जैसा कि एसोसिएशन की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री मिश्रा ने तर्क दिया था।दूसरी ओर, इस न्यायालय के पहले के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन पदों को संशोधित किए जाने वाले नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए, जो उस स्तर पर केवल एक मसौदा प्रपत्र में थे।इसके अलावा, चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है और इस तरह का विज्ञापन नियमों के संशोधन के बाद ही जारी किया गया है, यह तर्क

देना व्यर्थ है कि पदों को पूर्व-संशोधित नियमों के तहत भरा जा सकता है, केवल इसलिए कि पदों का सृजन किया गया था जबकि संशोधित नियम लागू नहीं हुए हैं।इसलिए, हम एसोसिएशन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री मिश्रा की पहली प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं।

जहाँ तक श्री मिश्रा के दूसरे तर्क का संबंध है, यह संशोधित नियम 7 (बी) की व्याख्या पर निर्भर करता है।नियम 7 (बी) में प्रावधान है कि प्रारंभिक भर्ती के बाद भर्ती बार से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि सेवा में एक तिहाई से अधिक पद सीधे भर्ती द्वारा आयोजित नहीं किए जाएंगे।"सेवा" शब्द को नियम 2 (ई) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा।"प्रत्यक्ष भर्ती" शब्द को नियम 2 (i) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसे बार से सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। "प्रारंभिक भर्ती" शब्द को नियम 2 (जी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है इन खच्चरों के शुरू होने के बाद सेवा में की गई पहली भर्ती और नियुक्ति।अभ्यास के एक सादे पाठ पर, यह एकमात्र अर्थ बताता है कि बार '4 से सीधी भर्ती करते समय दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेवा में एक तिहाई से अधिक पद किसी भी समय सीधे भर्ती द्वारा नहीं रखे जा सकें। आवश्यक रूप से, इसलिए, नियम अधिकतम पदों की संख्या प्रदान करते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा भरा जा सकता है और यह नहीं कहता है कि किसी दिए गए समय पर रिक्तियों की संख्या का एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा भरा जाना आवश्यक है।परंतुक के तहत प्रतिबंध यह है कि उच्च न्यायालय, जबकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरने का हकदार है।पदोन्नति और बार से सीधी भर्ती दोनों द्वारा, लेकिन सीधी भर्ती नहीं कर सकते हैं ताकि सेवा में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक हो।जब विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय सेवा में पदों की कुल संख्या 53,39 स्थायी और 14 अस्थायी थी और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में उस समय सीधी भर्ती की संख्या 8 थी, उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन 10 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए होने के कारण, नियम 7 (बी) के परंतुक का उल्लंघन नहीं होगा, जैसा कि श्री मिश्रा ने

उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या पर तर्क दिया था।इसलिए हम एसोसिएशन की ओर से पेश श्री मिश्रा के दूसरे निवेदन से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं।

इस सवाल पर कि क्या संशोधित नियमों, विशेष रूप से नियम 7,16 और 17 को संविधान के अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जा सकता है, हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 233 को कैसे लागू किया जा सकता है।श्री थारेजा का तर्क है कि नियम 7 में यह प्रावधान करके कि एक तिहाई से अधिक पदों को सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता है, सबसे निचले स्तर पर नियुक्तियों के स्तर में गिरावट आई है और प्रतिभाशाली लोग न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं हैं, जो बदले में संवर्ग के अधिकारियों की दक्षता और बुद्धिमत्ता को प्रभावित करता है और इसे अनुच्छेद 233 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि संवर्ग में एक तिहाई पद, अस्थायी और स्थायी दोनों को प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा भरे जाने के परिणामस्वरूप अवसर की समानता से इनकार किया जाता है और साथ ही यह अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन करता है और यह भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।हम उपरोक्त विवाद में कोई सार नहीं देखते हैं।अनुच्छेद 233 स्वयं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है और जबकि खंड (1) यह निर्धारित करता है कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जा सकती है, राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा, खंड (2) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रावधान करता है जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, बशर्ते कि वह कम से कम सात साल से अधिवक्ता रहा हो।दूसरे शब्दों में, खंड (2) स्वयं बार के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा को उच्च न्यायालय के परामर्श से और उसकी सिफारिशों पर तैयार किया गया है और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए नियमों में पदोन्नति के साथ-साथ इस शर्त के साथ सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, यह तर्क कि ऐसा नियम अनुच्छेद 14,16 और 233 का उल्लंघन करता है, पूरी तरह से गलत है।वास्तव में यह प्रश्न अब एकीकृत नहीं रह गया है, जिसका उत्तर इस न्यायालय द्वारा

उड़ीसा न्यायिक सेवा संघ, कटक और ए. एन. आर. वी. के मामले में दिया गया है।उड़ीसा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1991) उच्चतम न्यायालय 382।उपरोक्त परिसर में श्री थारेजा के तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है।उपरोक्त परिसर में, दोनों रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।